–

प्रेस नोट **दिनांक 13.10.2020**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

➢ **थाना कोतवाली बागपत क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम टटीरी में बुजुर्ग महिला की हत्या कर षव डाल देने की घटना का सफल अनावरण, हत्या में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

➢ घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.03.2020 को वादी सोनू पुत्र दिनेष कुमार निवासी वार्ड नम्बर–2 अम्बेडकर नगर अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना बागपत जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि उसका पूरा परिवार षिव भटटा टटीरी पर मजदूरी करता है। भटटे से मजदूरी कर घर वापस आते समय उसकी मां जयंती उम्र करीब 50 वर्ष के सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर षव को रामफूल निवासी टटीरी के ईख के खेत में डाल दिया है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 176/2020 धारा 302, 201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

➢ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों व प्रकाष में आये तथ्यों के आधार पर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 12.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर सायं समय करीब 16:30 बजे कलक्ट्रेट बागपत के पास से हत्या में संलिप्त अभियुक्त 1–राहुल पुत्र कृष्ण 2–अष्वनी पुत्र षीषपाल निवासीगण मौ0 अम्बेडकर नगर अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य–

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि गौरव पुत्र आनन्द निवासी मौ0 अम्बेडकर नगर अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना बागपत जनपद बागपत के मृतक जयंती की पुत्री के साथ अवैध सम्बन्ध थे जिसकी जानकारी मृतका जंयती व उसके पति को हो गयी थी जिसकी वजह से मृतका जयंती, गौरव को जहां भी मिलती डाटती रहती थी। दिनांक 20.03.2020 को हम तीनो दोस्त षाम के समय जंगल ग्राम टटीरी में गये थे तो रास्ते में मृतका जयंती भटटे की तरफ से आती हुई मिली, जो गौरव को देखते ही आग बबूला हो गई। जिस पर गौरव व मृतका जंयती में कहा–सुनी होने लगी और जंयती ने गौरव को तीन–चार थप्पड मार दिये थे। गौरव के कहने पर हम दोनों ने जंयती को पकड लिया और गौरव ने वहीं रास्ते में पडी ईट उठाकर जयंती के सिर में मार दी जिससे जंयती की मौके पर मृत्यु हो गई।

➢ गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1–राहुल पुत्र कृष्ण निवासी मौ0 अम्बेडकर नगर अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना बागपत जनपद बागपत।

2–अष्वनी पुत्र षीषपाल निवासी मौ0 अम्बेडकर नगर अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना बागपत जनपद बागपत।

➢ <u>वांछित अभियुक्त–</u>

1–गौरव पुत्र आनन्द निवासी मौ0 अम्बेडकर नगर अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना बागपत जनपद बागपत।

➢ **थाना बिनौली पुलिस द्वारा 25–25 हजार रूपये के ईनामी 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे मय 04 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद।**

➢ <u>पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना बिनौली पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान सुबह समय करीब 07:30 बजे ग्राम रंछाड चौराहे यात्री स्टैण्ड से वांछित अभियुक्त 1–इस्तकार उर्फ इन्तजार उर्फ कुली पुत्र रहमान 2–आसिफ पुत्र काजम निवासी गण ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद किये गये है। गिरफ्तार अभियुक्त इस्तकार उर्फ इन्तजार उर्फ कुली व आसिफ थाना सिंघावली अहीर के मु0अ0सं0 237/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहे थे। अभियुक्तगण षातिर गौ तस्कर रहे है। जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25–25 हजार रूपये का ईनाम धोषित किया गया था। अभियुक्त इस्तकार उर्फ इन्तजार उर्फ कुली के विरूद्व जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहीर व बिनौली पर गौवध, षस्त्र व गैंगस्टर अधिनियम सहित 07 अभियोग व अभियुक्त आसिफ के विरूद्व जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहीर व बिनौली गौवध, षस्त्र व गैगस्टर अधिनियम सहित 06 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना बिनौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ <u>अभियुक्त का नाम व पता–</u>

1–आसिफ पुत्र काजम निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत। **(25 हजार रूपये का ईनामी)**

2–इस्तकार उर्फ इन्तजार उर्फ कुली पुत्र रहमान निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत। **(25 हजार रूपये का ईनामी)**

➢ <u>बरामदगी का विवरण :–</u>

अभियुक्तों के कब्जे से अवैध 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिंदा कारतूस।

➢ <u>अभियुक्त इस्तकार उर्फ इन्तजार उर्फ कुली का अपराधिक इतिहास–</u>

1–मु0अ0सं0 329/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2–मु0अ0सं0 330/2019 धारा 25/4 षस्त्र अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3–मु0अ0सं0 09/2020 धारा 3/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4–मु0अ0सं0 27/2020 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
5–मु0अ0सं0 68/2020 धारा 25/4 षस्त्र अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
6–मु0अ0सं0 237/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
7–मु0अ0सं0 290/2020 धारा 3/25 षस्त्र अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत।

➢ <u>अभियुक्त आसिफ का अपराधिक इतिहास–</u>

1–मु0अ0सं0 329/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2–मु0अ0सं0 331/2019 धारा 25/4 षस्त्र अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3–मु0अ0सं0 09/2020 धारा 3/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4–मु0अ0सं0 27/2020 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
5–मु0अ0सं0 237/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
6–मु0अ0सं0 289/2020 धारा 3/25 षस्त्र अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत।

➢ **थाना खेकडा पुलिस द्वारा 03 षातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के पीली घातु के आभूषण व 3700 रूपये नकद बरामद।**

➢ **<u>पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–</u>**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी खेकडा के नेतृत्व में थाना खेकडा पुलिस द्वारा दिनांक आज 13.10.2020 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर समय करीब 12:30 बजे ग्राम खैला मोड से 03 षातिर चोर 1–दानिष पुत्र आबिद 2–षहादत पुत्र नन्हे 3–षहनवाज उर्फ टक्कर पुत्र अकरम निवासी ग्राम रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 3700 रूपये नकद व निषांदेही पर पीली धातू के आभूषण 01 छोटा व 01 बडा कंगन, 02 गले के हार, 01 टॉपस, 01 गले की चैन, 04 झल्ले, 01 हथफूल व 01 मोबाईल फोन टूटी हुई डिस्पले का बरामद किये गये है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तों द्वारा दिनांक 01/02.09.2020 की रात्रि को मौ0 षेखपुरा कस्बा खेकडा से रेषमा मलिक पुत्री बबली किन्नर के घर से पीली धातू के आभूषण व 42 हजार रूपये नकद चोरी करने की घटना कारित की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 338/2020 धारा 380, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ **<u>अभियुक्त का नाम व पता–</u>**

1–दानिष पुत्र आबिद निवासी ग्राम रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।
2–षहादत पुत्र नन्हे निवासी ग्राम रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।
3–षहनवाज उर्फ टक्कर पुत्र अकरम निवासी ग्राम रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

➢ **<u>बरामदगी का विवरण (चोरी के पीली धातू के आभूषण)–</u>**

1–चोरी के 3700 रूपये
2–पीली धातू के आभूषण 01 छोटा व 01 बडा कंगन।
3–02 गले के हार, पीली धातू।
4–01 टॉपस, पीली धातू।
5–01 गले की चैन, पीली धातू।
6–04 झल्ले, पीली धातू।
7–01 हथफूल पीली धातू।
8–01 मोबाईल फोन टूटी हुई डिस्पले।